**FORM NO. III.**

# फर्द अहकाम

( नियम 26 )

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : नावां सिटी,

बिरदीचन्द **बनाम :** बजरंगलाल

**किस्त मुकदमा** प्रा०भज **मु. नम्बर** 14 **सन्** 2023

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|---|---|---|
| 06/2/25 | प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता ने उपस्थित न्यायालय होकर एक प्रार्थना पत्र प्रकरण हाजा में पक्षकारान् के मध्य में राजीनामा हो जाने से उक्त प्रकरण को आज तारीख पेशी पर लिया जाकर जरिये विड्रॉल खारिज किये जाने हेतु पेश किया। प्रार्थना पत्र पर कार्यालय रिपोर्ट ली गई, कार्यालय रिपोर्ट एवं मूल पत्रावली का अवलोकन किया जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण वर्तमान में की जवाब अप्रार्थी नं. 1 के स्तर पर लम्बित चल रहा है तथा प्रकरण में सुनवाई के लिए तारीख पेशी 25.03.2025 नियत है। प्रार्थीगण ने स्वयं ने उपस्थित होकर जरिये अधिवक्ता के हस्तगत प्रकरण को जरिये विड्रॉल खारिज किये जाने का निवेदन किया है, चूंकि हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है। अतः प्रकरण को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राज.का.अधि. 1955 जरिये विड्रॉल खारिज किया जाता है। प्रकरण अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।<br><br>06/2/25<br>(जीतू कुलहरि)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>नावां<br>(डीडवाना–कुचामन) | बिरदीचन्द प्रा<br>2-) [illegible]<br>बजरंगलाल<br>गणेश नारायण<br>किशन गोपाल<br>रुकमा देवी |